

आवास किराया भत्ता प्रदान करने हेतु संशान वार्षिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY INSTITUTE EMPLOYEE FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCE

1. मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि (मिलाए जाने के उपर सरकारी आवास के लिए आवेदन को बाट भी) गृह सरकारी आवास को आवंटन को मान कर दिया है।
 मान गया को शेष निवास के लिए परे का आवास किया गया है।
 I certify that I have applied for the Government accommodation in accordance with the Prescribed Procedure but have not been provided with Government accommodation (have refused the allotment of Government accommodation) during the period in respect of which the allowance is claimed.
2. मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि मैं निवास/अपार्टमेंट/अपार्टमेंट/पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/माता/पिता/एक अधिकारी हिन्दू परिवार जिसमें कि मैं एक सह-भागीदार हूँ, आवास में निवास करता हूँ।
 I certify that I am residing in a house hired/owned by me/my wife/husband/son/daughter/father/mother/a Hindu undivided family in which I am a coparcener.
3. मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि मैं गृह राशि किराये में व्यय कर रहा हूँ।
 जिससे मैं अंशावास कर रहा हूँ।
 I certify that I am incurring some expenditure on rent contributing towards rent.

अधिकारी / OR

मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि मैं आवास/अधिकारी हिन्दू परिवार का जिसमें कि मैं सह-भागीदार हूँ और जिसमें कि मैं निवास करता हूँ इसकी जि. नियम 27.11.65 के कार्यालय ज्ञापन नं. एफ.2(37) हि III(बी) 64 के अनुच्छेद 7 में विविधिष्ठ के अनुरूप है।

I certify that the rent value of the house owned by me/owned by a Hindu undivided family in which I am a coparcener and in which I am residing is ascertainable in the manner specified in para 7 of O.M. No. F.2(37)-E.III(b) 64, dated 27.11.65. I certify that I am paying/contributing towards house or property tax.

4. मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि मैं अपार्टमेंट/बच्चे/माता-पिता जैसे कि भैरवीय सरकार स्वायत्त शासी निकाय, सार्वजनिक उपकरण अथवा अर्धशासकीय संगठन जैसे कि नारायणिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि को सरकारी कार्यालयों को आवंटित रैट प्री आवास में साझीदार नहीं हूँ।
 I certify that I am not sharing accommodation allotted to my parent (child) by the State/Central Government or autonomous public undertaking or Semi-Government Organisation such as municipality, port trust etc. allotted rent-free to another Government Servant.
5. मैं प्राप्तिकरण करता हूँ कि मेरे पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता जैसे कि भैरवीय/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी निकाय/लोक उपकरण या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे कि नारा पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि को आवंटित आवास में निवास करते हैं, और कोन्स्ट्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी निकाय/लोक उपकरण या अर्धसरकारी संगठन जैसे कि नारायणिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि से आवास किराया नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
 I certify that my husband/wife/children/parents who is/are sharing accommodation with me allotted to another employee of the Central/State Government/autonomous public undertaking or Semi-Government Organisations like municipality, port trust etc., is/are not in receipt of house rent allowance from the Central/State Government autonomous public undertakings or Semi-Government Organisation like municipality, port trust etc.
6. मैं यह भी प्राप्तिकरण करता हूँ कि मेरी पति/पत्नी को कोन्स्ट्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी लोक उपकरणों या अर्ध सरकारी संगठनों जैसे कि नारायणिका/ पोर्ट ट्रस्ट से आवास आवंटित नहीं किया गया है।
 I also certify that my wife/husband has not been allotted accommodation at some station by the Central/State Government/autonomous public undertaking or Semi-Government organisation such as municipality, port trust etc.

हस्ताक्षर

Signature

पदनाम

Designation

दिनांक :

Date

घर का पता

House Address

यदि सरकारी कार्यालय सरकारी आवास का पात्र नहीं है तो कोप्टकों में दर्शाये गये वाक्यों को काट दें या यह दिनांक 27.11.65 के कार्यालय ज्ञापन के 4 (बी) के उपर्योगी के अधीन आता है या दिनांक 25.2.1977 के विरा गंतव्यालय के काज्ज़ा.सं. 11011/1/E-II(बी) 75 की शर्तों में आवास किया गया है तो पात्रता के लिए सरकारी आवास हेतु उन्हें आवेदन करने में अपार्टमेंट नहीं है।

The words shown in brackets may be omitted if the Government Servant is not eligible for Government accommodation or if his case is covered by Notes under paragraphs 4(b) of the O.M. No. dated 27-11-65 or where it is not obligatory for him to apply for government accommodation for eligibility for house rent allowance in terms of Ministry of Finance O.M. No. 11011/1/E-II(B)/75, dated 25.2.1977.

सरकारी कार्यालय द्वारा अपने आवास या एक अधिकारी हिन्दू परिवार जिसमें कि वह सहयोगी है, द्वारा भरा जाए।

"To be furnished by a Government servant living in his own house or in a house owned by a Hindu undivided family in which he is a coparcener.

उन सरकारी कार्यालयों द्वारा भरा जाए जिनकी पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री या गाता को सरकारी आवास मिला है और वह उनके साथ रह रहे हैं।

To be furnished by another Government Servant being the wife, husband, son, daughter, father or mother of the Government Servant owning the house who is sharing accommodation with the later.

दिनांक : से आवास किराया भत्ता की संस्तुति की जाती है।
 HRA recommended w.e.f.